**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-3185**

**दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ**

**ओडिशा में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सीएसआर परियोजनाएं**

**†3185. डॉ. संबित पात्राः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ओडिशा राज्य में विगत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्वीकृत सीएसआर संबंधी कार्यों/परियोजनाओं की कुल संख्या का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ओडिशा राज्य में मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा शुरू की गई प्रमुख कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब पाया है और यदि हां, तो ओडिशा में इन सीएसआर परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित हैं; और

(घ) क्या इनमें से किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ने ओडिशा में धार्मिक पर्यटन अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए कोई सीएसआर परियोजना प्रस्तावित की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**विद्युत राज्य मंत्री**
**(श्री श्रीपाद नाईक)**

**(क) :** ओडिशा राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्वीकृत सीएसआर से संबंधित कार्यों/परियोजनाओं की कुल संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| सीपीएसयू | वर्ष 2022-23 | | वर्ष 2023-24 | | वर्ष 2024-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल सीएसआर कार्य/ परियोजनाएं | स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में) | कुल सीएसआर कार्य/ परियोजनाएं | स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में) | कुल सीएसआर कार्य/ परियोजनाएं | स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में) |
| एनटीपीसी लिमिटेड | 68 | 20.51 | 53 | 18.77 | 53 | 27.30 |
| पावरग्रिड | 10 | 23.70 | 12 | 2.92 | 13 | 21.46 |
| पीएफसी लिमिटेड | 2 | 7.09 | - | - | - | - |
| आरईसी लिमिटेड | - | - | 1 | 1.15 | 1 | 2.12 |
| ग्रिड-इंडिया | - | - | - | - | 1 | 0.26 |
| **कुल** | **80** | **51.30** | **66** | **22.84** | **68** | **51.14** |

गतिविधि/राज्य/ज़िला/कार्यान्वयन एजेंसी-वार की गई सीएसआर गतिविधियों और खर्च की गई धनराशि का विवरण सीपीएसयू की संबंधित वेबसाइटों, जैसे https://ntpc.co.in, https://www.powergrid.in, https://www.pfcindia.co.in, https://recindia.nic.in, https://grid-india.in और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सीएसआर पोर्टल, जैसे csr.gov.in पर उपलब्ध है।

**(ख) और (ग) :** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके नियमों के प्रावधानों के अनुसार, सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों का कार्यान्वयन, प्रारंभ वर्ष को छोड़कर, तीन वित्तीय वर्षों तक की निर्धारित समय-सीमा के भीतर, परियोजनाओं/गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर, एक निश्चित अवधि में किया जाता है। मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, ओडिशा में चार वर्षों से अधिक समय से कोई भी सीएसआर गतिविधि या परियोजना लंबित नहीं है।

**(घ) :** मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ओडिशा में धार्मिक पर्यटन अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए कोई सीएसआर परियोजना प्रस्तावित नहीं की है।

**********